तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2287/2011/बीकानेर** **लिछमा कवंर बनाम मोटाराम वगैरहा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री सी.आर.मीणा, सदस्य** **उपस्थित** श्री वी.पी.सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीया श्री एन.के गोयल, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण **निर्णय** **दिनांकः–03–11–2022** वकील प्रार्थी श्री एन.के.गोयल ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता जो कि उन्होंने दिंनाक 15–06–2022 को प्रस्तुत किया था, उसके क्रम में निवेदन किया कि प्रार्थी ने विवादितग्रस्त भूमि वाके रोही ग्राम के मनाफरसर तहसील लूणकरणसर के खसरा संख्या 61/3/1 की 25 बीघा बारानी भूमि आराजी को दिनांक 28–02–2011 को श्रीमती कमला देवी पत्नी ओम प्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम ताखरावली तहसली सार्दुलशहर जिला गंगानगर से पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा खरीदी ली है। अतः इस विवादित भूमि को विक्रय करने के पश्चात् अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की इस विवादग्रस्त भूमि में कोई हित नहीं है। चूंकि निगरानीकार ने अपनी निगरानी में प्रार्थी सिविल रिटेलर प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त विवादित निगरानी में पक्षकार नहीं बताया है। इसलिए निगरानी में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाने के कारण चलने योग्य नहीं है। अतः इसे निरस्त कराया जावें। वकील अपीलार्थी/अप्रार्थी वी.पी.सिंह ने जवाब देते हुये कहा की प्रार्थीया को जब तक इस निगरानी में उनका पक्षकार नहीं बनाया जाता है, तब तक इस निगरानी में कोई “लोकस स्टेण्डाई” नहीं बनता है तथा उनका यह भी तर्क है कि विवादग्रस्त भूमि का अभी पक्षकारान के बीच में दावा पेंडिंग है। दौराने दावा ही प्रार्थीया के द्वारा यह आराजी खरीदी गई है। इसलिए यह आवश्यक पक्षकार नहीं होने से इनका प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टिन्त 2010 आर.एल.डब्लू (आर.जे.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2287/2011/बीकानेर** **लिछमा कवंर बनाम मोटाराम वगैरहा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पेज 1177 पेश किया। पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि यह निगरानी राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के आदेश दिनांक 11-02-2011 एवं दिनांक 04-04-2011 में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है। इससे संबंधित वाद अभी तक उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है। वाद के दौरान विवादग्रस्त भूमि का बेचान होना स्पष्ट है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.एल.डब्लू 2010(2) आर.जे. पेज 1177 के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार "आवश्यक पक्षकार" वह व्यक्ति होता है जिसकी अनुपस्थिति में कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। अतः एक समूचित पक्षकार वह व्यक्ति होता है जिसकी उपस्थिति न्यायालय को वाद में विवादित समस्त मामलों पर पूर्ण रूपेण, प्रभावी ढंग से एवं पर्याप्त रूप से न्याय निर्णय करने हेतु समर्थ करता है। इस नजीर के प्रकाश में निगरानी में प्रार्थी आवश्यक पक्षकार नहीं बनता है। अतः प्रार्थी चाहे तो संबंधित न्यायालय में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त विवेचन के पश्चात् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक.....को पेश हो। **(सी.आर.मीणा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2287/2011/बीकानेर लिछमा कवंर बनाम मोटाराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2287/2011/बीकानेर** **लिछमा कवंर बनाम मोटाराम वगैरहा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए